संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा
मध्यप्रदेश भोपाल

1175(2) 19 JUL 2017

निविदा प्रारूप

निविदा आमंत्रण

संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र.भोपाल रजिस्टर्ड फर्मो/व्यक्तियों से निम्नांकित अनुपयोगी शासकीय वाहनों की नीलामी हेतु मुहर बंद निविदा दिनांक – 10.08.2017 के अपरान्ह 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है :–

स.क.	वाहन का नाम	वाहन पंजीयन कमांक एवं मॉडल वर्ष	रिमार्क
1.	मारूति वेन	MP-02-6013 (2000)	
2.	महेन्द्रा बुलेरो	MP-02-AV-0320 (2004)	
3.	टाटा इंडिका	MP-02-AV-0888 (2004)	

निविदा प्रपत्र दिनांक 19.07.2017 से 10.08.2017 तक कार्यालयीन समयावधि में संचालनालय, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल से अपरान्ह 12.00 बजे तक रूपये ₹500/– का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। प्रत्येक वाहन के लिए निविदा प्रपत्र पृथक–पृथक कय कर प्रस्तुत किया जाना होगा । निविदा प्रपत्र दिनांक 10.08.2017 को अपरान्ह 3.00 बजे तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 10.08.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते/नियमों की विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाइट www.pension.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संचालक
पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा
म.प्र.

Scanned by CamScanner

निविदा की शर्ते

1. वाहन किसान भवन के भूतल में रखा हुआ है, निविदा मान्य होने की स्थिति में जहां है, जैसा है, के आधार पर वाहन लेना होगा।

2. निविदा मान्य होने की दशा में निविदा मूल्य की 25 प्रतिशत राशि अगले कार्य दिवस तक एवं शेष राशि 07 कार्य दिवसों में जमा कर वाहन ले जाना होगा। उसके पश्चात ही जमाकर वाहन ले जाना होगा। उसके पश्चात ही जमानत राशि वापिस की जावेगी।

3. अमानत राशि केवल राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्रॉफ्ट के रूप में ही स्वीकार्य होंगी तथा संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा के नाम से ड्रॉफ्ट स्वीकृत किया जायेगा।

4. निर्धारित अवधि में वाहन न ले जाने की दशा में धरोहर राशि/जमानत राशि ₹5000/– (₹ पॉच हजार मात्र) राजसात की जावेगी। पृथक–पृथक वाहनों के लिए धरोहर/जमानत राशि पृथक–पृथक ही जमा की जानी होगी ।

5. वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन कार्य दिवसों में प्रातः 12 बजे से 3.00 बजे तक किया जा सकता है ।

6. निविदा मान्य होने की दशा में वाहन का निविदा मूल्य संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा में अगले कार्य दिवस में MPTC के माध्यम से जमा कराना होगा, इसके पश्चात ही वाहन सफल निविदाकार को सौंपा जावेगा।

7. सफल निविदाकार द्वारा वाहन प्राप्त करते ही समस्त वैद्यानिक कार्यवाही सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय से निर्धारित समयावधि में किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा कानूनी कार्यवाही हेतु सफल निविदाकार स्वयं जिम्मेदार रहेंगे ।

8. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संचालक पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

संचालक
पेंशन,भविष्य निधि एवं बीमा
म.प्र.

Scanned by CamScanner